

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित श्री अयूब खां, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या-1</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: center;">दिनांक 20.05.2019</p> <p>प्रार्थीगण ने यह दोनों निगरानी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा अपील संख्या 96/2002 एवं 95/2002 में पारित निर्णय दिनांक 18-12-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>दोनों निगरानी प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने से एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किये जाने के कारण योग्य अधिवक्तागण की सहमति से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।</p> <p>दोनों प्रकरणों कमे संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा पारित पृथक पृथक आदेश दिनांक 10-01-1990 से आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 03बीघा 10बिस्वा तथा खसरा नम्बर 711 रकबा 05बीघा भूमि दोनों प्रकरण में निहित अप्रार्थी संख्या-1 को कीमतन आंवटित की गयी। इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त कलक्टर, द्वितीय, अलवर के न्यायालय में दो अपीलों प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09-08-2002</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में दो अपीले प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18-12-2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा मण्डल के समक्ष यह दोनों निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण भौतिक रूप से लम्बे समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या-1 का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उनका कथन है कि हल्का पटवारी ने मौके के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रार्थीगण को नहीं दिया, ना ही तलब किया, ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की गयी क्योंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण लम्बे समय से काबिज काश्त है। उनका कथन है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना ही अपना आदेश पारित किया गया तथा आवंटन का आदेश जारी करने से पूर्व कस्टोडियन भूमि नियम 1963 की धारा 6 की पालना नहीं की गयी, जिसमें लोकल टीनेन्ट को ही आवंटन किये जाने का प्रावधान है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के आवंटन की कार्यवाही मिलीभगत से की गयी है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का खसरा नम्बर एक ही था, जिसके अलग अलग मिन नम्बर बनाये</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>गये है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन नला राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में नहीं किया जा सकता था। उनका कथन है कि विवादित आराजी के किस्म परिवर्तन करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसका भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर दोनों प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2018 आरआसर्टी II पेज 1478, पेज 1408, 1981 आरआरडी पेज 204, 1998 आरआरडी पेज 334, 1988 आरआरडी पेज 489, 1989 आरआरडी पेज 203, 1990 आरआरडी पेज 316 एवं 1995 आरआरडी पेज 624 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।</p> <p>योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के कीमतन आवंटन हेतु उनके पक्षकार की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा बाद जांच नियमानुसार उजरदारी नोटिस जारी करने के बाद तथा पुनर्वास अधिकारी से मन्जूरी मिलने के बाद विवादित आराजी का आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>भूमिहीन काश्तकार है तथा विरासत से 04बीघा भूमि प्राप्त हुई जबकि प्रार्थी के नाम 13बीघा भूमि है तथा प्रार्थीगण खाना के निवासी है जबकि भूमि खिदरपुर में स्थित है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार को विवादित आराजी कीमतन आवंटित की गयी है तथा आवंटन उपरान्त सनद पट्टा भी जारी किया गया है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर लम्बे समय से काबिज काश्त होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रकरणों को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों निगरानी प्रकरणों के अप्रार्थीगण संख्या-1 की ओर से विवादित आराजी के आवंटन हेतु पृथक-पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रार्थनापत्रों पर तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर तिजारा द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गयी, जिसमें हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि अप्रार्थीगण संख्या-1 के नाम कोई आराजी राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम खिदरपुर में भूमि है, जिसमें उसके हिस्से 04बीघा भूमि आती है। तत्पश्चात तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर तिजारा द्वारा दिनांक 16-10-1989 को उजरदारी नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा जारी पृथक पृथक आदेश</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिनांक 10-01-1990 से ग्राम खिदरपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 03बीघा 10बिस्वा तथा खसरा नम्बर 711 रकबा 05बीघा भूमि दोनों प्रकरण में निहित अप्रार्थी संख्या-1 सलेखां एवं अशरफ को कीमतन आवंटित की गयी, जिसकी राशि जमा होने के उपरान्त आवंटी के पक्ष में सनद पट्टा भी जारी किया गया। तत्पश्चात् विवादित आराजी जरिये नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या-1 की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज की गयी है। जहां तक विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के काबिज काश्त होने का प्रश्न है, प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वे विवादित आराजी पर लम्बे समय से काबिज काश्त रहे हो। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी नियमानुसार अप्रार्थी संख्या-1 को कीमतन आवंटित की गयी थी तथा आवंटन उपरान्त सनद पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात् विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार भी आवंटी को नियमानुसार प्रदान किये गये। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के वर्षों उपरान्त विधिवत् रूप से जारी आवंटन आदेश को निरस्त किया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1262/2005/अलवर मगुराम बनाम सलेखां निगरानी/एल.आर./1263/2005/अलवर मगुराम बनाम अशरफ</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रकरण सारहीन होने से खारिज किये जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(मोहनलाल नेहरा) सदस्य</p>	

